राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय)
गंगानाथ झा, परिसर, आजाद पार्क
प्रयागराज

क्रमांक / विज्ञप्ति / 2019 दिनांक 29.04.2019

''सार्वजनिक नीलामी विज्ञप्ति''

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिसर में विभिन्न समानों की अनुपयोगी सामाग्री की ''जहाँ है जैसी है'' के आधार पर खुली नीलामी दिनांक **08.05.2019 को 11.00** बजे परिसर में किया जाना है।

इच्छुक बोलीदार/फर्म परिसर में निर्धारित दिवस एवं समय से उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदार को निर्धारित फार्म के साथ **₹ 250/** (Non refundable) जमा कराना अनिवार्य है।

नीलामी योग्य सामग्रियों का अवलोकन दिनांक **01.05.2019 से 07.05.2019** तक किसी भी कार्यदिवस (सोम. से शुक्र.) में किया जा सकता है।

प्राचार्य

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, गंगानाथ झा, परिसर,
आजाद पार्क, प्रयागराज

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)

गंगानाथ झा परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क,

प्रयागराज - 211002

<u>नीलामी में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रपत्र</u>

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. स्थाई पता ....

4. पत्राचार का पता ....

5. डी.डी./नगद .... ₹ ____________________

5. पैन/जी.एस.टी. नम्बर ....

5. फोन/मोबाईल नंम्बर ....

6. ई–मेल आई डी. ....

6. आधार कार्ड या ....
वोटर आई. डी. की छायाप्रति

हस्ताक्षर –

नाम –

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय)
गंगानाथ झा, परिसर, आजाद पार्क
प्रयागराज

नीलामी सम्बन्धी शर्ते एवं नियम निम्नवत् है-

1. नीलामी के समय बोली में न्यूनतम वृद्धि रूपये 10,000/- की होगी।

2. अन्तिम बोली राशि का आधा (50 %) बोली के अन्त में तत्काल जमा करना होगा, तथा शेष राशि 03 दिनो के अन्दर सामग्री लेने से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने के पूर्व में जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और नीलामी की सामग्री अव्यवहित पूर्व बोली वाले को यथानियम दे दी जायेगी।

3. नीलामी योग्य सामग्रियों में से आंशिक या पूर्ण रूप से किस भी सामग्री को निरस्त/ बदलाव आदि करने अधिकार प्राचार्य को सुरक्षित है।

4. नीलामी संचालित करने वाली समिति यदि यह समझती है कि बोली लगाने वाले समूह (रिंग) गठित कर रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप नीलामी में प्रस्तावित सामान के लिए उचित मूल्य नहीं प्राप्त किया जा सकेगा तो वह नीलामी को स्थगित कर सकेगा।

5. परिसर में रखे गये या विज्ञापित किये गये किसी भी सामान अथवा सम्पूर्ण सामग्री को नीलामी संचालित करने वाली समिति बिना कोई कारण बताये नीलामी से रोकने के लिए अधिकृत है।

6. बोली के अंतिम होते ही मूल्य का 50 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद/आर.टी. जी.एस. जमा कराना अनिवार्य है। इस हेतु चेक, स्वीकार्य नहीं होंगे।

7. अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को भण्डार बेचा जा सकेगा या पुनः नीलामी की जा सकेगी। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध शासन को विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

8. बोली लगाने वाला व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता ता वह भारतीय दण्ड संहित की धारा–185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए दायी होगा।

9. यदि सफल बोली लगाने वाला निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही सामान को अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा।

10. पूर्ण भुगतान के बाद ही परिसर द्वारा नीलाम की गयी वस्तु बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परिसरीय समिति या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में वस्तु को परिसर से उठाया जा सकेगा।

12. भुगतान हो जाने के 03 दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा माल स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से (विक्रय मूल्य पर) अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जा सकेगा।

13. चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी।

14. किसी मुकदमे की स्थिति उत्पन्न होने पर वाद संस्थित करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रयागराज होगा।